न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी

जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर०ए०एस०

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
27 / 2019	25.1.2019	7.1.2025

काडू पुत्र नारायण, माली निवासी खानपुरबडौदा तह. गंगापुर सिटी ——वादी

वनाम

1. बुधराम पुत्र गोपी, माली निवासी खानपुरबडौदा तह. गंगापुर सिटी
2. सुरजो पुत्री गोपी, माली निवासी खानपुरबडौदा तह. गंगापुर सिटी
3. विजय पुत्र रामनारायण, माली निवासी खानपुरबडौदा तह. गंगापुर सिटी
4. विष्णु सैनी पुत्र रामनारायण, माली नि. खानपुरबडौदा तह. गंगापुर सिटी
5. उगन्ती पत्नी नारायण, माली निवासी खानपुरबडौदा तह. गंगापुर सिटी
6. कैलाश पुत्र नारायण, माली निवासी खानपुरबडौदा तह. गंगापुर सिटी
7. सुरेश पुत्र नारायण, माली निवासी खानपुरबडौदा तह. गंगापुर सिटी
8. मुकेश पुत्र नारायण, माली निवासी खानपुरबडौदा तह. गंगापुर सिटी
9. राजेश पुत्र नारायण, माली निवासी खानपुरबडौदा तह. गंगापुर सिटी
10. देवीसिंह पुत्र नारायण, माली निवासी खानपुरबडौदा तह. गंगापुर सिटी
11. मदनमोहन पुत्र नारायण, माली निवासी खानपुरबडौदा तह. गंगापुर सिटी
12. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री तरूण शर्मा, एडवोकेट, वादी की ओर से

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि भूमि ख0नं0 304 रकबा 0.71 है0 ग्राम छावा गोपी, भौरया पुत्रान रामदेव जाति माली की खातेदारी की भूमि रही है। भौर्या लाऔलाद फौत हो चुका है व गोपी का भी करीब 30 वर्ष पूर्व देहान्त हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 1 गोपी के पुत्र व प्रतिवादी संख्या 2 गोपी की पुत्री है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 गोपी के पुत्र रामनारायण के वारिस हैं व वादी व प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 11 गोपी के पुत्र नारायण के पुत्र व पुत्री हैं। वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं । पक्षकारों के सजरे के अनुसार रामदेव के दो पुत्र गोपी व भौरया हुए। जिनमें भौरया लाऔलाद फौत हो चुका है व गोपी की भी मृत्यु हो चुकी है। गोपी के तीन पुत्र रामनारायण, नारायण, बुधराम, एक पुत्री सुरजो तथा पत्नी जसोदा रहे हैं। इनमें पत्नी जसोदा, पुत्र रामनारायण व नारायण का निधन हो चुका है। रामनारायण के वारिस पुत्र विजय व विष्णु सैनी तथा नारायण

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 10:57:27 IST
Reason: SelfAttested

धिकारी
(राज०)

के वारिस पत्नी उगन्ती व पुत्र कैलाश, काडू, सुरेश, मुकेश, राजेश, देवीसिंह, मदनमोहन हैं। भूमि ख0नं0 304 स्थित ग्राम छावा वादी व प्रतिवादीगण की पैत्रक भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का समान रूप से 1/11 हिस्सा है जिसे वादी व प्रतिवादी मुताबिक हिस्सा काश्त कर लाभान्वित होते आ रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 गलत रूप से भूमि अपने नाम करवाना चाहते हैं तथा हिस्से से ज्यादा भूमि का नामान्तरकरण खुलवाना चाहते हैं। दिनांक 9.11.2018 को जब वादी व प्रतिवादी संख्या 5 ता 11 अपने हिस्से की भूमि को संभाल रहे थे तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादी को धमकाते हुए कहा भूमि में हमारा 1/2 हिस्सा है तथा हम इस पर आधे पर काश्त करगें, 1/2 हिस्से का नामान्तरकरण अपने नाम खुलवायेंगे। इस पर वादी ने पटवारी हलका से नामान्तरकरण के लिए सम्पर्क किया तो पटवारी हलका ने कहा कि इसमें कई व्यक्ति फौत हो चुके हैं इसलिए कोर्ट से आदेश लाओ तभी नामान्तरकरण खुलेगा। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर यह घोषित फरमाया जावे कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 भूमि ख0नं0 304 रकबा 0.71 है0 ग्राम छावा में प्रत्येक 1/11 हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार हैं व उसी अनुसार सरकारी कागजात व रिकार्ड में दुरूस्ती फरमाई जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादी को उसके 1/11 हिस्से के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा ना तो स्वयं पैदा करे ना ही किसी अन्य से करावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए। अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी सं0 2071 से 2074 ग्राम छावा खाता संख्या 126 प्रदर्श–1 प्रस्तुत की है एवं बयान वादी काडू पी0डब्लू0 1, बयान गवाह बत्तीलाल पी0डब्लू0 2 व बयान गवाह रामचरण पी0डब्लू0 3 कराए हैं।

बहस विद्वान अभिभाषक वादी सुनी गई।

वादी के विद्वान अभिभाषक ने वादपत्र के अनुसार बहस करते हुए वादी का वाद डिक्री करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी सं0 2071 से 2074 खाता संख्या 126 ग्राम छावा प्रदर्श–1 के अनुसार भूमि ख0नं0 304 रकबा 0.71 है0 गोपी पुत्र रामदेव

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 10:57:27 IST
Reason: SelfAttested

ड अधिकारी
सिटी (राज०)

हिस्सा 1/2, भौरया पुत्र रामदेव हिस्सा 1/2 की खातेदारी में दर्ज है। वादपत्र में वादी द्वारा प्रस्तुत सजरे के अनुसार एवं वादी व गवाहों के बयानों के अनुसार भौरया लाऔलाद फौत हो चुका है एवं उसका वारिस गोपी ही है। गोपी की भी मृत्यु हो चुकी है तथा गोपी के वारिस उसकी पत्नी जसोदा, पुत्र रामनारायण, नारायण, बुधराम तथा पुत्री सुरजो रही है। इनमें भी पत्नी जसोदा की मृत्यु हो चुकी है। पुत्र रामनारायण की मृत्यु हो चुकी है तथा उसके वारिस उसके पुत्र विजय व विष्णु सैनी हैं तथा नारायण की भी मृत्यु हो चुकी है एवं इसके वारिस उसकी पत्नी उगन्ती व पुत्र कैलाश, काडू, सुरेश, मुकेश, राजेश, देवीसिंह, मदनमोहन हैं। ये सभी प्रस्तुत वाद में पक्षकार के रूप में दर्ज हैं। वादी ने वादग्रस्त भूमि में 1/11 हिस्से की खातेदारी घोषणां चाही है परन्तु वादी द्वारा वादपत्र में वर्णित सजरे के अनुसार भौरया की भूमि गोपी के नाम आती है अर्थात गोपी वादग्रस्त भूमि ख0नं0 304 रकबा 0.71 है0 का खातेदार होता है। इसके वारिसो में पुत्र बुधराम 1/4 हिस्से का, पुत्री सुरजो 1/4 हिस्से का, पुत्र रामनारायण के वारिस उसके पुत्र विजय व विष्णु सैनी 1/8, 1/8 हिस्से के तथा पुत्र नारायण के वारिस पत्नी उगन्ती, पुत्र कैलाश, काडू, सुरेश, मुकेश, राजेश, देवीसिंह, मदनमोहन प्रत्येक 1/32–1/32 हिस्से के खातेदार काश्तकार होते हैं एवं इसी अनुसार वादी का वाद डिक्री किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जाता है एवं भूमि ख0नं0 304 रकबा 0.71 है0 ग्राम छावा में वादी काडू पुत्र नारायण माली को को हिस्सा 1/32 का, प्रतिवादी बुधराम पुत्र गोपी माली को हिस्सा 1/4 का, प्रतिवादी सुरजो पुत्री गोपी माली को 1/4 हिस्से का, प्रतिवादी विजय पुत्र रामनारायण माली को 1/8 हिस्से का, प्रतिवादी विष्णु सैनी पुत्र रामनारायण को 1/8 हिस्से का, प्रतिवादी उगन्ती पत्नी नारायण माली को 1/32 हिस्से का, प्रतिवादी कैलाश पुत्र नारायण माली को 1/32 हिस्से का, प्रतिवादी सुरेश पुत्र नारायण माली को 1/32 हिस्से का, प्रतिवादी मुकेश पुत्र नारायण माली को 1/32 हिस्से का, प्रतिवादी राजेश पुत्र नारायण माली को 1/32 हिस्से का, प्रतिवादी देवीसिंह पुत्र नारायण माली को 1/32 हिस्से का, प्रतिवादी मदनमोहन पुत्र नारायण माली को 1/32 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यह भूमि गोपी पुत्र रामदेव हिस्सा 1/2 जाति माली सा0 खानपुर बडौदा खातेदार, भौरया पुत्र रामदेव हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 10:57:27 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी
(राज०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (राज०)

1/2 जाति माली सा0 खानपुर बडौदा खातेदार के नाम से हजफ की जाकर उपरोक्तानुसार वर्णित विवरण के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज की जावे। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली निर्णितशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 7.1.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 10:57:27 IST
Reason: SelfAttested